



भावाअशिप-उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

Indian Council of Forestry Research & Education

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद

An autonomous Council under the Ministry of Environment, Forest & Climate Change

डाकघर- आर0एफ0आर0सी0, मण्डला रोड, जबलपुर - 482 021

P.O. R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur - 482 021



No. 1-7-5/24/Estt-Harassment /TFRI/JBP/ 1205

दिनांक 19-12-2025

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1512, दिनांक 13/12/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक, भावाअशिप-उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, द्वारा इस संस्थान एवं भावाअशिप-कौशल विकास केन्द्र, छिन्दवाड़ा केन्द्र के लिए निम्नलिखित "आंतरिक शिकायत समिति" का पुनर्गठन सहर्ष किया जाता है:-

In pursuance to the provisions of section (4) of "The Secual Harassment of Women of Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013". The Director, ICFRE-TFRI is pleased to reconstitute "Internal Complaints Committee" for ICFRE-TFRI and ICFRE-Skill Development Centre, Chhindwara as under:-

1.	Dr. Fatima Shirin, Scientist-G	Chairman	9425163295	shirinf@icfre.org
2	Dr. Deepika Jangam, Scientist-C	Member	8106633962	djangam@icfre.org
3	Dr. Rajesh Kumar Mishra, Chief Technical Officer	Member	9406737642	mishrak@icfre.org
4	Smt. Nisha Parnami, President, Prayas Women Empowerment Society, Ghantaghar, Jabalpur,	Member	9424940727	nishaparnami@gmail.com
5	Smt. Manju Gupta, Assistant	Member	9993208671	guptam@icfre.org

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

This order is being issued after the approval of the competent authority.

Nikhil Ver
19/12/25
अवर सचिव/लिंग अधिकारी
भावाअशिप-उवअसं, जबलपुर

प्रतिलिपि:-

- (1) उपरोक्त अध्यक्ष/सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) प्रभारी, आई0टी0 सेल, भावाअशिप-उवअसं, जबलपुर को सूचनार्थ एवं संस्थान की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।